



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-20052026-272749
CG-MH-E-20052026-272749

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2488]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 20, 2026/वैशाख 30, 1948

No. 2488]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 20, 2026/VAISAKHA 30, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 13 मई, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 20E के तहत

का.आ. 2580(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11)(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 19 मई 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का. आ. 2221 (E) तारीख 17 मई 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् "पाचोरा - जामनेर नैरो गेज से ब्रॉड गेज और मलकापुर तक विस्तार के साथ (84.34 Kms)" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप धारा (4) के अधीन विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (१) (यूटीपीएच) जलगांव, जिला दैनिक सामाचार पत्रों अर्थात “दैनिक जनशक्ति” और “दैनिक देशोन्नति” में तारीख 08-05-2025 को प्रकाशित किया गया था।

और, सक्षम प्राधिकारी को कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले के अंतर्गत 1 गाँव का विशेष रेल परियोजना “पाचोरा - जामनेर नैरो गेज से ब्रॉड गेज और मलकापुर तक विस्तार के साथ (84.34 Kms)” के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

अ. क्र.	भूसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वे नं/ गट नं.	7/12 अनुसार कुल क्षेत्रफल (हे.आर.)	संपादित क्षेत्र (हे.आर.)
1	41/25	गोरडखेडा व	पाचोरा	चंद्रकांत दत्तात्रय पोतदार राजेंद्र सदाशिव सोनार (बाविस्कर)	92/1 पै 92/2/1 पै 92/2/2 पै	3.20	1.35
2				ईश्वरलाल फतुमाल ललवाणी	151/1 पै	1.00	0.56
3				रवींद्र बाबुराव पाटील	151/2 पै	1.70	0.27
					कुल	5.90 (हे.आर.)	2.18 (हे.आर.)

[फा. सं. G197/PC-JMNR/Goradkhede Vlg/Pachora Tq/20E]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Central Railway)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 13th May, 2026

Under clause 20E of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 2580(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 2221 (E) dated 17th May 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated 19th May 2025 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) and Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **“Pachora – Jamner with extension upto Malkapur-Narrow Gauge to Broad Gauge (84.34 Kms)”** in the district of **Jalgaon** in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in for SLAO(1)UTPH.Jalgaon daily Marathi newspapers namely **“Dainik Janshakti”** & **“Dainik Deshonnati”** dated 08-05-2025 respectively under sub section (4) of section 20A of the said Act.

And whereas, no objections were received.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project of **“Pachora – Jamner with extension upto Malkapur-Narrow Gauge to Broad Gauge (84.34 Kms)”** for 1 village in the District **Jalgaon** in the State of Maharashtra.

S.N	Land Acquisition Proposal No.	Village Name	Taluka	Land Owner's name according to 7/12 Extract	Survey No./ Gatt No.	Area According to 7/12 Extract (Ha.)	Acquisition Area (Ha.)
1	41/25	Gorakhde BD.	Pachora	Chandrakant Dattatray Potdar Rajendra Sadashiv Sonar (Baviskar)	92/1/Out of 92/2/1 Out of 92/2/1/Out of	3.20	1.35
2				Ishwarlal Fatumal Lalwani	151/1 Out of	1.00	0.56
3				Ravindra Baburao Patil	151/2 Out of	1.70	0.27
					Total	5.90 (Ha.)	2.18 (Ha.)

[F. No. G197/PC-JMNR/Gorakhde Vlg/Pachora Tq/20E]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)